ट्रायल कोर्ट की शक्ति को नहीं रोका जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

- छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले को सुको ने पलटा
- 12 साल की सजा को कर दिया गया था 10 साल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: सुप्रीम कोर्ट ने बिलासपुर हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें हाई कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 32 बी के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपित को दिए गए 12 साल की सजा को कम करते हुए 10 साल कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस धारा के तहत ट्रायल कोर्ट को न्यूनतम से अधिक सजा देने का अधिकार है। ट्रायल कोर्ट की शक्ति को नहीं रोका जा सकता।

एनडीपीएस एक्ट के मामले में दायर एसएलपी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 एनटीपीएस एक्ट की धारा 32बी जिसमें न्यूनतम सजा से अधिक सजा देने के लिए ध्यान में रखे जाने वाले कारकों का विवरण है। ट्रायल कोर्ट को लगता है कि मामला गंभीर है तो न्यूनतम 10 साल से अधिक की सजा देने के लिए ट्रायल कोर्ट को अधिकार सम्पन्न किया गया है। ट्रायल कोर्ट की शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करती है। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को 12 साल की सजा सुनाई थी। याचिकाकर्ता को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 सी के तहत विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस ने एक अन्य आरोपित के साथ कोडीन फास्फेट, एक साइकोट्रोपिक पदार्थ युक्त विभिन्न खांसी सिरप की 236 शीशियों के कब्जे में होने के लिए दोषी ठहराया था। याचिकाकर्ता को 12 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।

स्पेशल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में दी थी चुनौती

स्पेशल कोर्ट एनडीपीएस के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने दोषसिद्धी की पुष्टि करने के साथ ही सजा को 12 साल से घटाकर 10 करने का आदेश जारी किया था। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया था। रफीक कुरैशी बनाम नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ईस्टर्न जोनल यूनिट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सजा सुनाते समय, ट्रायल कोर्ट को धारा 32-बी के खंड (ए) से (एफ) में प्रदान किए गए गंभीर कारकों को ध्यान में रखना होगा।